न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 866 / 2024

अनवान : –

1. अनकोरी पत्नी दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. विनोद पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
2. रामप्यारी उर्फ सुमन पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
3. रामेती पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
4. भागा देवी पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
5. धर्मा पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
6. झिमा उर्फ विमला पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
7. मीतो उर्फ सुखमा पुत्री बेगाराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
8. पृथ्वी राज पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 26/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 86 / 80 की कुल 3.1610 तथा रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 88 / 82 की कुल 0.9230 हैक्ट भूमि दुनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 169 / 154 की कुल 7.4760 हैक्ट भूमि में वादीया के नाम 1 / 56 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 8 प्रत्येक के नाम 1 / 56 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 1 / 7 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुनीराम के नाम दर्ज है। दुनीराम का देहान्त हो चुका है दुनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने उक्त समस्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त[illegible] शुन्य कर लिया है। वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक [illegible] डुमासर के खाता स0 169 / 157 की 7.4760 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने [illegible]ना हक हिस्सा वादी[illegible] पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वादीया 2.0025 हैक्ट भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 8 के 1/56 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी। रोही मौजा डुमासर के खाता स0 86/80 की ुल 3.1610 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या का 1/8 हिस्सा (0.395125) हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं वादीया 2765875 हैक्ट भूमि की खातेदारी काश्तकार रहेगी एवं रोही मौजा डुमासर के खाता स0 88/82 की कुल 0.9230 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 8 का 0. 115375 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं 0.807625 हैक्ट भूमि का वादीया खातेदार काश्तकार रहेगी। वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीयान के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीयान मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीया ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदीया पेश की जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुनीराम के नाम दर्ज है। दुनीराम का देहान्त हो चुका है दुनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने उक्त समस्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक बंटवारा रोही मौजा डुमासर के खाता स0 169/157 की 7.4760 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वादीया 2.0025 हैक्ट भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 8 के 1/56 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी। रोही मौजा डुमासर के खाता स0 86/80 की ुल 3.1610 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या का 1/8 हिस्सा (0.395125) हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रहेगा एवं वादीया 2765875 हैक्ट भूमि की खातेदारी काश्तकार रहेगी एवं रोही मौजा डुमासर के खाता स0 88/82 की कुल 0.9230 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 8 का 0.115375 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं 0.807625 हैक्ट भूमि का वादीया खातेदार काश्तकार रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 8 को जो भी हक हिस्सा है उसे दिया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 86/80 की कुल 3.1610 तथा रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 88/82 की कुल 0.9230 हैक्ट भूमि दुनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 169/154 की कुल 7.4760 हैक्ट भूमि में वादीया के नाम 1/56 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 8 प्रत्येक के नाम 1/56 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 1/7 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुनीराम के नाम दर्ज है। दुनीराम का देहान्त हो चुका है दुनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने उक्त समस्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक बंटवारा रोही मौजा डुमासर के खाता स0 169/157 की 7.4760 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वादीया 2.0025 हैक्ट भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 8 के 1/56 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी। रोही मौजा डुमासर के खाता स0 86/80 की ुल 3.1610 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या का 1/8 हिस्सा (0.395125) हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं वादीया 2765875 हैक्ट भूमि की खातेदारी काश्तकार रहेगी एवं रोही मौजा डुमासर के खाता स0 88/82 की कुल 0.9230 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 8 का 0.115375 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं 0.807625 हैक्ट भूमि का वादीया खातेदार काश्तकार रहेगी प्रतिवादी संख्या 8 को जो भी हक हिस्सा है उसे दिया जा रहा है। वादीया के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक [illegible] डिक्री किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है। वादीया द्वारा पत्रावली में दर्शाये [illegible] सजरा खानदान के अलावा दुनीराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 169/154 की कुल 7.4760 हैक्ट भूमि में से वादीया को 2.0025 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 8 को 1/56 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 86/80 की कुल 3.1610 हैक्ट भूमि में से 2.765875 हैक्ट भूमि का वादीया को तथा 0.395125 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 88/82 की कुल 0.9230 हैक्ट भूमि में से 0.807650 हैक्ट भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 0.115375 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व मृतक दुनीराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 866/2024

अनवान : –

1. अनकोरी पत्नी दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. विनोद पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
2. रामप्यारी उर्फ सुमन पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
3. रामेती पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
4. भागा देवी पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
5. धर्मा पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
6. झिमा उर्फ विमला पुत्री दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
7. मीतो उर्फ सुखमा पुत्री बेगाराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
8. पृथ्वी राज पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 866 सन 2024 निर्णय दिनांक – 26/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 169/154 की कुल 7.4760 हैक्ट भूमि में से वादीया को 2.0025 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 8 को 1/56 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 86/80 की कुल 3.1610 हैक्ट भूमि में से 2.765875 हैक्ट भूमि का वादीया को तथा 0.395125 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 88/82 की कुल 0.9230 हैक्ट भूमि में से 0.807650 हैक्ट भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 0.115375 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व मृतक दुनीराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर